संक्षिप्त

175 भोजन के पैकेट बांटे

श्रीमाधोपुर, (निसं)। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट श्रीमाधोपुर ईकाई ने सरकारी योजना के साथ-साथ सावन मास में कार्यकर्ताओं ने 175 भोजन के पैकेट वितरित किए। संरक्षक मुकेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में नांगल भीम कच्ची बस्ती में जाकर 175 भोजन के पैकेट वितरित किए। मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जीवन का एक ही मकसद है कच्ची बस्ती में भोजन व जरूरतमंद तक सरकारी योजना की मदद पहुंचाने का कार्य करने का काम लोकसेवा ज्ञान मंदिर के अध्यक्ष महावीर ठठेरा, मुकेश कुमार शर्मा, सुभाष जांगिड अजय शर्मा, पार्थ पारीक, प्रवीण वर्मा के द्वारा भोजन पैकेट वितरित किए गए।

तीन माह से फरार आरोपी गिरफ्तार

निवाई, (निसं)। डीजल चोरी के आरोप में 3 माह से फरार एक आरोपी को बरोनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरोनी थानाधिकारी हरिराम ने बताया कि वांछित आरोपियों की धरपकड अभियान के अन्तर्गत पुलिस ने डीजल चोरी के मामले में विश्राम गुर्जर निवासी हरभांवता को सोमवार को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपी 3 माह से फरार चल रहा था।

कमरा ढहने से एक ही परिवार के छह लोग दबे, दो की मौत

थानागाजी के हरनेर भांगडोली गांव में आधा अूधरा बना कमरा ढहने से हादसा हो गया।

अलवर, (निसं)। थानागाजी के हरनेर भांगडोली गांव में आधा अूधरा बना कमरा ढहने से परिवार के 6 लोग दब गए। अपनी मौसी के यहां आए कोटपूतली के निकट प्रागपुरा गांव के दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई।

2 महिला सहित 4 गंभीर घायल हैं। जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 2 को जयपुर रैफर कर दिया है। पडोसियों ने बताया कि सुबह 10 बजे के आसपास बारिश हो रही थी। तभी अचानक हरनेर गांव निवासी मिस्त्री

- **दो महिला सहित चार गंभीर घायल, दो को जयपुर रैफरकिया**

संतोष के घर का कमरा गिर गया। एक ही कमरा था। वह भी आधा अधूरा पहाडी की तलहटी में बना हुआ था। उस समय कमरे में 4 बच्चे व दो महिलाएं थी। सब मलबे में दब गए। आसपास के लोग आवाज सुनकर आए। उनको बाहर निकाला। अस्पताल लेकर गए। प्रागपुरा से हरनेर में अपनी मौसी के यहां नितिन उर्फ गोलू 6 साल व शालू 2 साल की मौत हो गई। मां सीमा देवी घायल है। जिनके सिर में चोट है। घर में संतोष की पत्नी व उसका बेटा दिलखुश व एक छोटी बेटी थे। ये तीनों भी घायल हुए हैं। घायलों का अलवर व जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है।

संतोष के 3 बेटियां व 1 बेटा है। दो बेटी स्कूल गई थी। वरना यह हादसा और बडा हो सकता था। घर में मां-बेटा थे। इसके अलावा प्रागपुरा से अपनी बहन के पास आई सीमा व उसके बच्चे नितिन व शालू थे। कमरा का पटाव टूटा। फिर दीवार भी गिर गई। इसके मलबे में 6 लोग दब गए। घटना का पता लगते ही पार्षद राकेश पांचाल मौके पर आया। सभी को अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में नितिन व ज्योति को मृत घोषित कर दिया। सीमा, संतोष व दिलखुश का इलाज जारी है। इस दर्दनाक हादसे से गांव में मायूसी छा गई। परिवार में कोई बडा आदमी घर पर नहीं था। संतोष खुद चिनाई का काम करता है। इन दिनों पावटा में काम में लगा हुआ है। घटना का पता लगने के बाद वह अस्पताल पहुंचा है। वहीं प्रागपुरा से मृतक बच्चों के परिजन भी आए हैं। बेहद गरीब परिवार है। केवल मजदूरी कर आजीविका चलती है।

अलवर में नहर लाने की मांग

खैरथल, (निसं)। अलवर जिला नहर समन्वय समिति जिला संयोजक व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य बलराम यादव के नेतृत्व में खैरथल कस्बे के अंडर ब्रिज के पास बूथ लगाकर आमजन से अलवर में नहर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां लिखवाई गई।

पत्रों में प्रधानमंत्री को अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति तथा नहर की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में चिट्ठी के माध्यम से बताया गया। इस अवसर पर समन्वय ने समिति के संयोजक बलराम यादव ने बताया कि अलवर जिले को नहर से जोडना अब अतिआवश्यक हो गया है। अलवर जिले में चारों तरफ पानी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। किसान के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है, इंसान के पास पीने के लिए पानी नहीं जबकि अलवर जिले के तीनों तरफ बॉर्डर पर नहर बहती है। इससे यहां नहर आने में बहुत आसानी है बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। इस दौरान करीब 1000 लोगों ने चिट्ठियां लिखी और बुजुर्ग किसान लोगों ने उत्साह के साथ चिट्ठियां लिखी व अलवर जिले में नहर की मांग को समर्थन दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला सचिव फतेह मोहम्मद नहर समन्वय समिति के प्रवक्ता कपिल शर्मा यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास प्रजापत पार्षद नारायण संघाणी रमेश पार्षद प्रमोद यादव परवेज आलम अभिषेक पार्षद राजपाल यादव निजाम खान रसमुद्दीन फखरुद्दीन आदि रहे।

सार-समाचार

अतिक्रमण हटवाने की मांग

चौरु/उनियारा, (निसं)। बनेठा में सहकारी सेवा समिति के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य होने के चलते हुए ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक का दरवाजा खटखटाया लेकिन नतीजा ढ ाक के तीन पात होने के चलते अवैध अतिक्रमण कर किया गया पक्का निर्माण कार्य ध्वस्त नहीं किया गया। इसको लेकर आखिरकार ग्रामीण देवली उनियारा विधायक हरिश्चंद्र मीणा की शरण में पहुंचे और हत्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपकर सहकारी समिति के सामने स्थित अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग रखी। इस पर विधायक ने उक्त समस्या समाधान करवाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में सहकारी सेवा समिति अध्यक्ष किशनलाल माली व्यवस्थापक, सत्यनारायण चौधरी, वार्ड पंच मोहन लाल माली, जवान माली, कमलेश सैनी, माधो कीर, रमेश चंद सहित कई ग्रामीणों मौजूद रहे।

असिस्टेंट प्रो. ओमप्रकाश को बधाई दी

अलवर, (निसं)। दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएसएमएम) से जडे स्कूल प्रधानाध्यापक कैमाला निवासी ओमप्रकाश के राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजनीति विज्ञान में कॉलेज शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन होने पर खुशी व्यक्त की गई। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के राजनीति विज्ञान के विभागाध्यक्ष एवं डीएसएमएम के प्रदेश सहसंयोजक डॉ.रमेश बैरवा के बुध विहार स्थित निवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंच कार्यकर्ताओं ने असिस्टेंट प्रोफेसर बने ओमप्रकाश को मिठाई खिलाकर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मंच जिला संयोजक एडवोकेट बीएल वर्मा, सह संयोजक फतेहसिंह एवं एडवोकेट श्यामसुंदर जाटव, प्रधानाचार्य जीतसिंह, जगदीश गांधी, व्याख्याता श्योप्रसाद बैरवा, रईसा शामिल रहे।

सालों पहले बेची भूमि पर खातेदार ने उठाया केसीसी लोन

मंडावरी, (निसं)। नगर पालिका क्षेत्र मंडावरी में कुछ जगहों पर कृषि भूमि खातेदार द्वारा कई सालो पहले उस जगह को एग्रीमेंट पर बेचान के बाद भी बेची गई संबंधित खातेदारी खसरे पर केसीसी लोन लेने के कारण रहन रहने के चलते उस भूमि पर नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही पट्टा प्रक्रिया बाधित हो गई है।

- **लोन लेने से पट्टा प्रक्रिया बाधित, पटवार रिपोर्ट में हुआ खुलासा**

नगर पालिका क्षेत्र स्थित कच्ची सडक एवं मूर्ति मोहल्ले से लगती बसी आबादी कॉलोनी वाली भूमि पर संबंधित खातेदारों द्वारा केसीसी लोन लेने के कारण वह जगह बैंक के रहन होने के कारण उस जगह के नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे पट्टे प्रक्रिया पूरी होने में रोडा अटक गया। खातेदार द्वारा एग्रीमेंट पर बेचैन करने के बाद बडी संख्या में लोगों द्वारा इस भूमि पर मकान दुकान आदि निर्माण के लिए गए हैं। बैंक के रहन पडी इस भूमि पर आबादी बसने के साथ वहां आवासीय एव व्यवसायिक गतिविधियां भी संचालित हो रही है। इन्हें कृषि भूमि पर खातेदार द्वारा लोगों को करीब 30 से 40 साल समय पहले एग्रीमेंट पर बेचान कर दिया था। जैसे ही पालिका को अभियान में लोगों के आवेदन प्राप्त हुए तो उनके द्वारा कृषि भूमि में बसी आबादी कॉलोनियों का नियमन करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। जहां पटवारी की रिपोर्ट में कुछ खातेदार द्वारा संबंधित भूमि पर जमीन बेचान के बाद भी उस जगह का बैंक में रहकर केसीसी ऋण लेने से पालिका द्वारा खातेदारी भूमि में बसी कॉलोनियों का नियमन कर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पर भी पूरी तरह ब्रेक लग गया है। वही पालिका प्रशासन की मानें तो जब तक खातेदारी भूमि बैंक से ऋण मुक्त नहीं होगी तब तक पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं।

स्वाधीनता दिवस पर अधिकारी मुख्यालयों पर जरूर मौजूद रहे : एडीएम प्रथम

एडीएम प्रथम अखिलेश कुमार ने स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये।

अलवर, (निसं)। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अखिलेश कुमार पिपल ने स्थानीय इन्दिरा गॉधी स्टेडियम में 15 अगस्त को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की तैयारियों के संबंध में जिला कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर मनाये जाने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह (15 अगस्त) के संबंध में उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को समय पर पूर्ण करना सुनिर्श्चित करे। उन्होनें कहा कि जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह पर सभी अधिकारी अपने-अपने मुख्यालय पर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देश दिये कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित एवं विभागीय विकास योजनाओं से संबंधित झाकियां निकालें। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पर्व पर बाला किला सहित शहर के मुख्य-मुख्य चौराहो, कलेक्ट्रेट व कलेक्टर निवास आदि पर रोशनी की व्यवस्था नगर विकास न्यास द्वारा की जायेगी। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस समारोह में पुरस्कृत किये जाने वाले व्यक्तियों के प्रस्ताव विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर से स्पष्ट अनुशंषा के साथ 8 अगस्त तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय के पास भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समारोह में शहीद वीरांगनाओं को ससम्मान आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया जाए। जिला स्तरीय समारोह में सैनिक कल्याण अधिकारी वीरांगनाओं को ससम्मान लाने-ले जाने का दायित्व निर्वहन करेंगे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये कि मुख्य समारोह स्थल एवं पूर्व संध्या पर प्रताप ऑडिटोरियम पर प्राथमिक उपचार हेतु दवाईयों सहित एक एम्बूलेन्स मय चिकित्सा टीम की व्यवस्था रखें और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एम्बुलेन्स पर 2-3 चिकित्सक एवं अन्य स्टॉफ की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को निर्देश दिये कि समारोह में सामूहिक व्यायाम में भाग लेने वाले छात्रा-छात्राओं को शुद्ध देशी घी की मिठाई के वितरण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि 6 से 13 अगस्त तक होने वाले पूर्व अभ्यास के लिए जिन विधालयों के स्वयं के वाहन नहीं हैं उन विधालयों के लिए आवश्यकतानुसार वाहनों की व्यवस्था करें।

उन्होंने पथ संचरण के प्रभारी अधिकारी को समस्त टुकडियों के लिए आगामी 6 से 13 अगस्त के मध्य सामूहिक पूर्व अभ्यास हेतु कार्यक्रम बनाकर अभ्यास कराने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि स्वाधीनता दिवस पर प्रशासन एवं नागरिकों के मध्य मैत्री मैचों का आयोजन किया जाएगा जिसमें बॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैण्डबॉल आदि के मैच आयोजित होंगे। इस अवसर पर एडीएम द्वितीय सुश्री वन्दना खोरवाल, जिला रसद अधिकारी जितेन्द्र सिंह नरूका, नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल जाट सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

REGIONAL OFFICE (JAIPUR-SOUTH)
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
8/263, MALVIYA NAGAR, NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR
Website-wwww.enviornment.rajasthan.gov.in
Email Id- ro.jaipursouth@gmail.com Phone-0141-4068311
No. RSPCB/RO/Jaipur/S/Sang/360 Date

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत, सरकार नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसार Public Hearing for grant of Environment Clearance to M/s. Instromedix Waste Management Pvt Ltd. for development of Common Bio Medical Waste Treatment Facility at Khasra No. 400, Village Rampuraoonti, Tehsil Sanganer, District Jaipur (Raj.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

और चूंकि M/s Instromedix Waste Management Pvt. Ltd ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आश्य की सूचना जारी 15 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त समूह खनन परियोजना सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर (उत्तर)।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (दक्षिण)।
4. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालालना डूंगरी, जयपु;
5. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
7. उपखण्ड अधिकारी, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, जयपुर।
9. जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण), उद्योग भवन तिलक मार्ग, जयपुर।
10. कार्यालय, जिला परिषद, जयपुर।
11. कार्यालय, ग्राम पंचायत, ग्राम रामपुरौनती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र क्रमांक श.उ./जनसुनवाई/2022/1879 दिनांक 22.07.2022 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.08.2022 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-खसरा नम्बर 400, ग्राम रामपुरा ऊँती (रामपुरनाती), तहसील सांगानेर, जिला, जयपुर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/ सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर (दक्षिण) को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बधित केन्दीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/ सावधानियों की पालाना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय (अरविन्द कुमार) क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय ग्राम पंचायत शहर
पंचायत समिति गिडा-बाड़मेर
क्रमांक/ग्रा.प.शहर/पं.स.गि./मनरेगा/निविदा/2022-23/48 दिनांक : 28.06.22
ई-निविदा सूचना संख्या - 01/2022-23
ग्राम पंचायत शहर, पंचायत समिति गिडा में महात्मा गांधी नरेगा योजना व पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न अनुमत योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रोक्यूरमेंट हेतु ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http:\\sppp.rajasthan.gov.in एवं http:\\eproc.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।
UBN No :- PLP2223GLRC00045
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत शहर

कार्यालय ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह
पंचायत समिति गिडा-बाड़मेर
क्रमांक/ग्रा.प.सवाउ पदमसिंह/पं.स.गि./मनरेगा/निविदा/2022-23/48 दिनांक : 28.06.22
ई-निविदा सूचना संख्या - 01/2022-23
ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह, पंचायत समिति गिडा में महात्मा गांधी नरेगा योजना व पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न अनुमत योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रोक्यूरमेंट हेतु ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http:\\sppp.rajasthan.gov.in एवं http:\\eproc.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।
UBN No :- PLP2223GLRC00044
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत सवाउ पदमसिंह

कार्यालय ग्राम पंचायत सवाउ मुलराज
पंचायत समिति गिडा-बाड़मेर
क्रमांक/ग्रा.प.सवाउ मुलराज/पं.स.गि./मनरेगा/निविदा/2022-23/51 दिनांक : 20.07.22
ई-निविदा सूचना संख्या - 01/2022-23
ग्राम पंचायत सवाउ मुलराज, पंचायत समिति गिडा में महात्मा गांधी नरेगा योजना व पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न अनुमत योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रोक्यूरमेंट हेतु ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http:\\sppp.rajasthan.gov.in एवं http:\\eproc.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।
UBN No :- PLP2223GLRC00046
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत सवाउ मुलराज

कार्यालय ग्राम पंचायत पुनियों का तला
पंचायत समिति गिडा-बाड़मेर
क्रमांक/ग्रा.प.पुनियों का तला/पं.स.गि./मनरेगा/निविदा/2022-23/66 दिनांक : 15.07.22
ई-निविदा सूचना संख्या - 01/2022-23
ग्राम पंचायत पुनियों का तला, पंचायत समिति गिडा में महात्मा गांधी नरेगा योजना व पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न अनुमत योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रोक्यूरमेंट हेतु ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http:\\sppp.rajasthan.gov.in एवं http:\\eproc.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।
UBN No :- PLP2223GLRC00040
ग्राम विकास अधिकारी,
ग्राम पंचायत पुनियों का तला

अवैध हथियारों के साथ एक गिरफ्तार

बहरोड/शाहजहांपुर, (निसं)। शाहजहांपुर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 48 दिल्ली से जयपुर मार्ग पर एक संदिग्ध व्यक्ति को किसी अन्य वारदात की फिराक में जिंदा कारतूस सहित अवैध देसी कट्टा लेकर घूमते गिरफ्तार किया।

बदमाश हरसोरा सरपंच विक्रम निवासी कटारिया का बास को गोली मारकर फरार हो गया था। जो अवैध देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस लेकर शाहजहांपुर के नजदीक सांसेडी मोड पर सर्विस रोड पर अकेला खडा था जो गश्त के दौरान पुलिस जाब्ते को देखकर तेज गति से चलने पर संदिग्ध गतिविधियों के लगते जाब्ते ने डिटेन किया तथा पूछताछ के दौरान घबराहट से विक्रम कुमार निवासी मोहम्मदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर होना पता चला। जिससे संतुष्टिप्रद जवाब नही मिलने व कमर के बाएं तरफ बार-बार कुछ छुपाने की कोशिश करने की हरकत से तलाशी के दौरान 1 देसी कट्टा 1 जिंदा कारतूस मिला। जिसको मौके से पुलिस ने लेकर मुल्जिम विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.03.2022 को एक मांग नोटिस कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. संतोष सिंह, 2. नीतू चौहान को जारी किया गया था, जिसमें 16.02.2022 की तिथी को एक मांग नोटिस उल्लेखित राशी रूपये 72,50,631.00/- (रूपये बहत्तर लाख पचास हजार छः सौ इकतीस हजार मात्र) का भुगतान उपर्युक्त निर्दिष्ट नोटिस प्राप्ती से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।

चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2022 के 22वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रूपये 72,50,631.00/- (रूपये बहत्तर लाख पचास हजार छः सौ इकतीस हजार मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।

कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

प्लाट नं. 462, रायल ग्रीन सिटी स्कीम, गाम नागल बडगूजरान उर्फ फगोदियावाला, बड़ के बालाजी, अजमेर रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग, क्षेत्रफल 478.12 वर्ग गज और सीमायें है- पूर्व-प्लाट नं.450 एवं 451, पश्चिम-रोड 100'0" चौडी, उत्तर-प्लाट नं. 461 दक्षिण-प्लाट नं.463

दिनांक- 22.07.2022
स्थान- जयपुर
ऋण खाता संख्या- 10051263386
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व नाम केपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित)

विधायक ने लोगों की विद्युत समस्याओं का त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए

एवीवीएनएल के अधिशासी अभियंता के 25 लाख की लागत से नए बने कार्यालय भवन का उद्घाटन विधायक दीपेंद्र सिंह ने किया।

श्रीमाधोपुर, (निसं)। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता के 25 लाख की लागत से नए बने कार्यालय भवन का उद्घाटन विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम समारोह में

- **अधिशासी अभियंता के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन**

विधायक शेखावत के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रक्षपाल दास स्वामी, उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि घासीराम यादव, नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष नंदकिशोर सैनी, पार्षद भगवती देवी कुमावत, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेंद्र गढ वाल, अधिशासी अभियंता हंसराज मीणा आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शेखावत ने विद्युत निगम की कार्यशैली पर संतोष व्यक्त करते हुए आमजन की विद्युत समस्याओं का त्वरित निपटारा करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के श्रीमाधोपुर सहायक अभियंता नरेश नरूका, अजीतगढ भागीरथ शर्मा, थोई सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता संदीप त्रिवेदी, मनीष सिंह शर्मा, राकेश भिंडा रामबाबू चौधरी व अन्य स्टाफ उपस्थित था।

इस कार्यक्रम में पार्षद सुनील पुरी, विनेश सैनी, मदन चौहान, उमेश चुलेट, राजेश हरिजन, मनोहर सिंह शेखावत, सुभाष शर्मा हांसपुर नरेंद्र सिंह शेखावत जोरावरनगर, सुनील बुराडिया, महेंद्र उपाध्याय, सूर्यपाल सिंह राठौड, लक्की अग्रवाल मऊवाला, बाबूलाल चौधरी, जितेंद्र पंजाबी, राजेश कुमार अंकुर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मालीराम रैगर, राजाराम मीणा, सुरेश पटवारी, राजेंद्र मऊवाला सहित सैकडों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद विधायक शेखावत ने लोगों की समस्याएं सुनी व अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए मौके पर ही दिए।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा कार्यालय-कोटपुतली, होटल सुख सागर, एनएच-8, कोटपुतली
जिला-जयपुर-303108, फोन नं.: 01421- 249437, ई-मेल: Kotput@bankofbaroda.com

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों एवं जमानतदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अतः उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुनः लौटकर आ गए हैं। अतः उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

क्र. सं.	ऋणियों एवं जमानतदारों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/बंधक सम्पत्तियों का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
1	**मैसर्स भैया फूट भंडार** दुकान नं. 14, न्यू सब्जी मंडी, एन.एच. 8, कोटपुतली-303108, जिला-जयपुर, राजस्थान **प्रोपराईटर-** **श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी** दुकान नं. 14, न्यू सब्जी मंडी, एन.एच. 8, कोटपुतली-303108, जिला-जयपुर, राजस्थान एवं वार्ड नं. 12, ढाणी बच्छवली, लक्ष्मी नगर, कोटपुतली-303108, जिला-जयपुर, राजस्थान **जमानतदार- श्री रतन लाल सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी** वार्ड नं. 12, ढाणी बच्छवली, लक्ष्मी नगर, कोटपुतली-303108, जिला-जयपुर, राजस्थान	श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो खसरा नं. 1044, ग्राम बसाडी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 250.20 वर्ग गज/209.19 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**- पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः सुनील का मकान, उत्तरः मोठूराम का प्लॉट, दक्षिणः तारा चंद की भूमि; श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्ति जो ग्राम मौजा बसाडी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 43.33 वर्ग गज/36.25 वर्ग मीटर है। **सीमाएं**-पूर्वः राजकुमार की दुकान, पश्चिमः अन्य दुकान, उत्तरः रामेश्वर सैनी का प्लॉट, दक्षिणः आम रास्ता नौरांगपुरा रोड; श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो वार्ड नं. 12, मोहल्ला बसाडी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 288.13 वर्ग गज/240.92 वर्ग मीटर/2593.25 वर्ग फीट है। **सीमाएं**-पूर्वः हरिराम भुला राम का मकान, पश्चिमः रतन लाल का मकान, उत्तरः मदन लाल का मकान, दक्षिणः आम रास्ता	02.07.2022 गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 28.06.2022	दिनांक 31.05.2022 को बकाया राशि रू. 31,17,627.66 (रूपये इकतीस लाख सत्रह हजार छह सौ सताईस एवं पैसे छियासठ मात्र) दिनांक 31.05.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।
2	**श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी** वार्ड नं. 12, बच्छवली, लक्ष्मी नगर, कोटपुतली-303108, जिला जयपुर, राजस्थान **सह-ऋणी-** **श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुनील कुमार सैनी** वार्ड नं. 12, बच्छवली, लक्ष्मी नगर, कोटपुतली-303108, जिला जयपुर, राजस्थान	श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जो खसरा नं. 1183/1, प्लॉट नं. 6, 7, 14 एवं 15 जो ग्राम बसाडी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, पट्टा नं. 1134, दिनांक 09.08.2016 के तहत कुल क्षेत्रफल 72.83 वर्ग गज है। **सीमाएं**- पूर्वः आम रास्ता 10', पश्चिमः प्लॉट नं. 5, 13, उत्तरः आम रास्ता 15', दक्षिणः आम रास्ता 15'; श्री सुनील कुमार सैनी पुत्र श्री प्रभु दयाल सैनी के नाम साम्यिक बंधक का विस्तार आवासीय सम्पत्ति जो खसरा नं. 1183/1, प्लॉट नं. 6, 7, 14 एवं 15 जो ग्राम बसाडी, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर, राजस्थान पर स्थित है, पट्टा नं. 1134, दिनांक 09.08.2016 के तहत कुल क्षेत्रफल 72.83 वर्ग गज है। **सीमाएं**- पूर्वः आम रास्ता 10', पश्चिमः प्लॉट नं. 5, 13, उत्तरः आम रास्ता 15', दक्षिणः आम रास्ता 15'	02.07.2022 गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 28.06.2022	दिनांक 30.05.2022 को बकाया राशि रू. 34,54,120.77 (रूपये चौंतीस लाख चौवन हजार एक सौ बीस एवं पैसे सतहत्तर मात्र) दिनांक 30.05.2022 तक ब्याज शामिल करते हुए एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों/जमानतदारों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं/जमानतदारों को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों/जमानतदारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।
कर्जदारों/जमानतदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

हस्ता.
दिनांकः 25.07.2022, स्थानः कोटपुतली (जयपुर) प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा